



न्यायालय:- अंचल अधिकारी, गाँवा जिला-गिरिडीह

आदेश फलक

वाद का प्रकार

अभिलेख सं०- 13/19-20

आदेश का क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
12.02.2024	<p>यह अभिलेख राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है।</p> <p>राजस्व उपनिरीक्षक का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा चिहुटिया थाना नं० 330 खाता नं०-09, प्लॉट नं०- 151, रकवा 0.47 एकड़ भूमि रैयती खाते की है। जिसका खतियान चुरु नायक वगैरह के नाम से दर्ज है। जमाबंदी पंजी 2 के पृष्ठ सं० 32/2 पर हरदयाल साव के नाम से दर्ज है। घरेया बंटवारा के आधार पर रकवा 23.5 डी० का हिस्सा होता है। जिस पर विवाद उत्पन्न है। स्थल जाँच के क्रम में ग्रामिणों के द्वारा बतलाया गया कि उक्त भूमि पर आवेदक का हिस्सा है। आवेदित भूमि पर 1. महेश यादव पिता- सुफी यादव 2. पवन यादव पिता-भागो यादव 3.रविन्द्र कुमार पिता-रामसहाय महतो 4. अनिल यादव पिता- स्व मधु यादव 5.विनय कुमार यादव पिता-जागेश्वर यादव 6.मालती देवी पति-पवन यादव 7.आशा देवी पति-विनय कुमार यादव 8.सुनील कुमार यादव पिता-रमेश यादव साकिन- चिहुटिया द्वारा दीवार दिया जा रहा था। इस विवादित भूमि से संबंधित कागजात द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> <p>उक्त भूमि स्वत्व का मामला प्रतीत होता है। उभय पक्ष सक्षम न्यायालय जा सकते हैं।</p> <p>अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> अंचल अधिकारी गाँवा</p> <p> अंचल अधिकारी गाँवा।</p>	